CPC पेश कर उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रति-
ली जाने से No-objection करने पर प्रतिवादीगण
क्र.1 की मृत्यु होने के उपरांत वारिसान को
रिकार्ड पर लेने हेतु संशोधित शीर्षक पेश
किया शामिल रहे। प्रतिवादीगण क्र. 5 व 6
के हित सुरक्षित रखते हुए वादकी बन्द
की जाती है बहस सुनी गयी पत्रावली
वास्ते निर्णय दिनांक 18.5.18 को
पेश हो। [signature]

18.5.18 पत्रावली पेश हुई। वाद-पत्र का कोई
विरोध नहीं होने से मुताबिक राजीनामा
वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखवाकर सुनाया
गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा डिक्री
का जुज रहेगा। हक फरीकैन मुताबिक पंजीकृत
इकरार बाहमी शामिल किया जाकर फर्द
डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार
होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया

[signature]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलासः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः—71/2018

1. परमजीत कौर पत्नि गुरविन्द्र सिहं, जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
2. आकाशदीप पुत्र गुरविन्द्र सिहं   नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता परमजीत कौर पत्नि
3. धनदीप कौर पुत्री गुरविन्द्र सिहं   गुरविन्द्र सिहं जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——वादीगण——

बनाम

1. गुरबंश कौर (फौत)
   1/1 राजपाल कौर पत्नि श्री कुलविन्द्र सिहं पुत्री स्व0 श्री गुरवंश कौर जाति जटसिख निवासी चक उतमसिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
   1/2. रिछपाल कौर पत्नि बलकरण सिहं पुत्री स्व0 गुरवंश सिहं जाति जाट, निवासी बलुआना, तहसील व जिला बठिण्डा
2. कर्मजीत कौर पत्नि राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
3. संदीप सिहं पुत्र राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
4. मनप्रीत सिहं पुत्र राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
5. ओ.बी.सी. बैंक हनुमानगढ़—
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

——प्रतिवादीगण——

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53 आरटीए

उपस्थितः—श्री इन्द्राज गोदारा, अधिवक्ता—वादीगण
श्री अमरीक सिहं—अधिवक्ता—प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांकः—

संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार है कि वादिया संख्या—1 के पति व वादीगण संख्या— व 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या—2 के नाम व प्रतिवादीगण संख्या—3 व 4 के नाम वाके चक 5 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या—82/22 में 2.783 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन व वाके चक 3 एसटीडी के खाता संख्या—38/41 में 2.530 हैक्टेयर भूमि व इसी प्रकार वाके चक 1 एनडब्ल्यूएन खाता संख्या68/24 में 1.793 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार वाके चक 2 एसटीडी के खाता संख्या—6/5 में 5.693 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन भूमि व वाके चक 20 एमकेएस तहसील संगरिया के खाता संख्या—12/43 में 0.278 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या—39/77 में 0.430 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने यह भी कथन किया कि अर्जीदावा की चरण संख्या—3 में वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या—2 से 4 के पिता राम सिहं व गुरविन्द्र सिहं की भूमि थी। राम सिहं के

Scanned by CamScanner

फौत होने के पश्चात् उनके हक व हिस्सा की भूमि उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई है तथा प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है परन्तु गुरविन्द्र सिहं के फौत होने के पश्चात् उनके हक हिस्सा की भूमि अभी तक गुरविन्द्र सिहं के नाम ही राजस्व रिकार्ड में अंकित है चूंकि उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 ने अपनी समस्त भूमि का घरूवंटवारा कर लिया है तथा मुताबिक घरूवंटवारा हम वादीगण को वाकै चक 1 एनडब्ल्यूएन के खाता संख्या–68/24 में स्व0 श्री गुरविन्द्र सिहं व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 के नाम दर्ज कुल 2.151 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन भूमि तथा वाकै चक 2 एसटीडी पत्थर नम्बर 146/236 (1) किला नम्बर–25/.215 है, पत्थर नम्बर–146/237 (2) किला नम्बर–4/.190, 5/.253, 7/.190, पत्थर नम्बर–146/238 (6) के किला नम्बर–1 ता 4, 5/.126 कुल 2.808 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन भूमि व वाकै चक 5 एलएलडब्ल्यू पत्थर नम्बर–144/227 (65) किला नम्बर–20/.253, पत्थर नम्बर–143/227 (66) किला नम्बर–12, 13/.126, 16 ता 19 कुल 1.644 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन भूनि व इसी प्रकार गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं के नाम वाकै चक 20 एमकेएस खाता संख्या–12/43 में 0.278 हैक्टैयर व खाता संख्या–89/70 की 0.430 है0 भूमि हम वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या–1 को वाकै चक 2 एसटीडी के खाता संख्या–6/5 में 1.285 हैक्टेयर भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या–2 ता 4 को वाकै चक 3 एसटीडी के खाता संख्या–38/41 में स्व0 गुरविन्द्र सिहं व प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 के नाम दर्ज कुल 2.530 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन व वाके चक 5 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या–82/22 में स्व0 गुरविन्द्र सिहं व स्वयं प्रतिवादीगण संख्या–2 तता 4 के नाम दर्ज कुल 2.783 हैक्टेयर में से 1.138 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है तथा घरूवंटवारा के रोज से ही हम वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक घरूवंटवारा काविज रहकर काश्त कर रहे है तथा आज मौका पर काश्त उसकी अनुसार है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन अभी तक गुरविन्द्र सिहं के नाम होने व मुताबिक वंटवारा राजस्व रिकार्ड में ना होने के कारण हम वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अतः वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 20 एमकेएस खाता संख्या–39/77 में गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं के नाम दर्ज 0.430 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या–12/43 में गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं के नाम दर्ज 0.278 हैक्टैयर भ्रूमि के व चक 5 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या–82/22 में प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 व गुरविन्द्र सिहं के नाम दर्ज 2.783 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन भूमि में से 1.645 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन भूमि की व वाकै चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6/5 में प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 व गुरविन्द्र सिहं के नाम दर्ज 5.693 हैक्टेयर मय गैरमुमनि में से 2.240 हैक्टैयर व मय गैरमुमकिन भूमि व इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या–1 वाकै चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6/5 में 1.265 हैक्टेयर भूमि की व इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 वाकै चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6/5 में 2.188 हैक्टेयर भूमि के बहिस्सा बराबर के व वाकै चक 3 एसटीडी खाता संख्या–38/41 में प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 के नाम व गुरविन्द्र सिहं के नाम दर्ज 2.530 हैक्टेयर व वाकै चक 1 एनडब्ल्यूएन खाता संख्या–68/24 में प्रतिवादिया संख्या–1 के नाम दर्ज 0.358 हैक्टेयर व गुरविन्द्र सिहं व प्रतिवादीगण सख्या–2 ता 4 के नाम दर्ज 1.793 हैक्टेयर कुल 2.151 हैक्टैयर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वाकै चक 20 एमकेएस खाता संख्या–39/77 व 12/43 में से गुरविन्द्र सिहं व राम सिहंस का व वाकै चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6/5 में गुरविन्द्र सिहं व वाकै चक 5 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या–82/22 में से गुरविन्द्र सिं व वाकै चक 1 एनडब्ल्यूएन खाता संख्या–68श/24 में गुरविन्द्र सिहं व गुरबंस कौर का व इसी प्रकार 3 एसटीडी के खाता संख्या–38/41 में

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(५)

गुरविन्द सिंह व गुरबंस कौर का नाम कलजमन किया जावे व मुताबिक वादपत्र की चरण संख्या-4 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक घरूबंटवारा खाता विभाजन किया जावे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 की ओर से श्री अमरीक सिहं वकालतनामा प्रस्तुत किया। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादीगण उप0। वादी व प्रतिवादीगण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा दिनांक 17–05–2018 के अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

दौराने दावा प्रतिवादिया संख्या–1 गुरवंश कौर का देहान्त हो गया। जिस बाबत वादीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादिया संख्या–1 का कलमजन कर उनके स्थान पर शेष वारिसान को अभिलेख पर लेने का आदेश फरमाया जावे। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अनापति प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रार्थना–पत्र दिनांक 17–05–2018 को स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1/1 व 1/2 व 2 से 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने दिनांक 17–05–2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादीगण संख्या–1 से 3 परमजीत कौर–आकाशदीप–धनदीप कौर को चक 2 एसटीडी के खाता संख्या–6/5 के पत्थर नम्बर– 146/236 (1) किला नम्बर–25/.215 है0, पत्थर नम्बर–146/237 (2) किला नम्बर–4/.190, 5–6, 7/.190 व पत्थर नम्बर–146/238 किला नम्बर–1 ता 4, 5/.127, 6/.127, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.139 व चक 5 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या–82/22 के पत्थर नम्बर–144/227 (65) किला नम्बर–20/.253, पत्थर नम्बर–143/227 (66) किला नम्बर–12, 13/.127, 16 ता 19 के खातेदार घोषित करते हुये खाता विभाजन की डिक्री की जाती है तथा इसी प्रकार वाके चक 1 एनडब्ल्यूएन के खाता संख्या–68/24 गुरबंश कौर पत्नि गुरदेव सिहं के नाम दर्ज .358 है0 व राम सिहं के वारिसान व गुरविन्द्र सिहं पुत्र गुरदेव सिहं के नाम दर्ज 1.793 हैक्टेयर कुल 2.151 हैक्टेयर भूमि व इसी प्रकार चक चक 20 एमकेएस तहसील संगरिया खाता संख्या–12/43 में गुरविन्द्र सिंह राम सिहं पिसरान गुरदेव सिहं के नाम .278 है0 भूमि व इसी चक के खााता संख्या–39/77 में गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं के नाम दर्ज 0.430 हैक्टेयर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगी। इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या–**3** व **५** संदीप सिहं व मंगप्रीत सिहं को चक 2 एसटीडी के खाता संख्या–6/5 के पत्थर नम्बर–146/237 (2) किला नम्बर–3/0.051, 7/0.063, 8/.240, 9/0.89, 11/.101, 12, 13, 14, 19, 20, पत्थर नम्बर–146/238 (6) किला नम्बर–5/.126, 6/.126, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में .114 है, 12 व चक 5 एलएलडब्ल्यू पत्थर नम्बर–144/227 (65) किला नम्बर–11, 12, पत्थर नम्बर–143/227 (66) किला नम्बर–13/.126 14, 15, चक 3 एसटीडी खाता संख्या–38/41 में 2.530 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया संख्या–2 व 3 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा उक्तानुसार चक 20 एमकेएस के खाता संख्या–39/77 व 12/43 में से गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं का, वाके चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6/5 में गुरविन्द्र सिहं का, चक 5 एलएलडब्ल्यू, के खाता संख्या–82/22 में से गुरविन्द्र सिहं व वाके चक 1 एनडब्ल्यूएन के खाता संख्या–68/24 में से गुरविन्द्र सिहं–गुरवंश कौर व प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4

Scanned by CamScanner

का तथा चक 3 एसटीडी के खाता संख्या–38/41 में गुरविन्द्र सिहं व गुरवंश कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। हक परित्याग के पंजीयन स्टाम्प पेश होने पर पर्ची डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2018 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

परमजीत कौर आदि बनाम गुरवंश कौर आदि

दावा बाबत 88 व 53 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः– 71 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता–वादीगण व श्री अमरीक सिंह–अधिवक्ता–प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादीगण संख्या–1 से 3 परमजीत कौर–आकाशदीप–धनदीप कौर को चक 2 एसटीडी के खाता संख्या–6 / 5 के पत्थर नम्बर– 146 / 236 (1) किला नम्बर–25 / .215 है0, पत्थर नम्बर–146 / 237 (2) किला नम्बर–4 / .190, 5–6, 7 / .190 व पत्थर नम्बर–146 / 238 किला नम्बर–1 ता 4, 5 / .127, 6 / .127, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.139 व चक 5 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या–82 / 22 के पत्थर नम्बर–144 / 227 (65) किला नम्बर–20 / .253, पत्थर नम्बर–143 / 227 (66) किला नम्बर–12, 13 / .127, 16 ता 19 के खातेदार घोषित करते हुये खाता विभाजन की डिक्री की जाती है तथा इसी प्रकार वाके चक 1 एनडब्ल्यूएन के खाता संख्या–68 / 24 गुरबंश कौर पत्नि गुरदेव सिंह के नाम दर्ज .358 है0 व राम सिंह के वारिसान व गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 1.793 हैक्टेयर कुल 2.151 हैक्टेयर भूमि व इसी प्रकार चक चक 20 एमकेएस तहसील संगरिया खाता संख्या–12 / 43 में गुरविन्द्र सिंह राम सिंह पिसरान गुरदेव सिंह के नाम .278 है0 भूमि व इसी चक के खाता संख्या–39 / 77 में गुरविन्द्र सिंह व राम सिंह के नाम दर्ज 0.430 हैक्टेयर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगी। इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 संदीप सिंह व मंगप्रीत सिंह को चक 2 एसटीडी के खाता संख्या–6 / 5 के पत्थर नम्बर–146 / 237 (2) किला नम्बर–3 / 0.051, 7 / 0.063, 8 / .240, 9 / 0.89, 11 / .101, 12, 13, 14, 19, 20, पत्थर नम्बर–146 / 238 (6) किला नम्बर–5 / .126, 6 / .126, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में .114 है, 12 व चक 5 एलएलडब्ल्यू पत्थर नम्बर–144 / 227 (65) किला नम्बर–11, 12, पत्थर नम्बर–143 / 227 (66) किला नम्बर– 13 / .126 14, 15, चक 3 एसटीडी खाता संख्या–38 / 41 में 2.530 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया संख्या–2 व 3 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा उक्तानुसार चक 20 एमकेएस के खाता संख्या–39 / 77 व 12 / 43 में से गुरविन्द्र सिहं व राम सिहं का, वाके चक 2 एसटीडी खाता संख्या–6 / 5 में गुरविन्द्र सिहं का, चक 5 एलएलडब्ल्यू, के खाता संख्या–82 / 22 में से गुरविन्द्र सिहं व वाके चक 1 एनडब्ल्यूएन के खाता संख्या–68 / 24 में से गुरविन्द्र सिहं–गुरवंश कौर व प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 4 का तथा चक 3 एसटीडी के खाता संख्या–38 / 41 में गुरविन्द्र सिहं व गुरवंश कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। हक परित्याग के पंजीयन स्टाम्प पेश होने पर पर्ची डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

..........✗..........लीज..........✗..........मुबलिग..........✗..........बातत..........✗..........

..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..........✗..........से तारीख वसूलयाबी..........✗..........

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 18–05–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

(7)

<u>विवरण पक्षकार</u>

परमजीत कौर पत्नि गुरविन्द्र सिहं, जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

आकाशदीप पुत्र गुरविन्द्र सिहं
धनदीप कौर पुत्री गुरविन्द्र सिहं

नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता परमजीत कौर पत्नि गुरविन्द्र सिहं जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––वादीगण––

बनाम

1. गुरबंश कौर (फौत)

1/1 राजपाल कौर पत्नि श्री कुलविन्द्र सिहं पुत्री स्व0 श्री गुरबंश कौर जाति जटसिख निवासी चक उतमसिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

1/2. रिछपाल कौर पत्नि बलकरण सिहं पुत्री स्व0 गुरबंश सिहं जाति जाट, निवासी बलुआना, तहसील व जिला बठिण्डा

2. कर्मजीत कौर पत्नि राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

3. संदीप सिहं पुत्र राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

4. मगप्रीत सिहं पुत्र राम सिहं, जाति जटसिख, निवासी चन्दड़ा, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

5. ओ.बी.सी. बैक हनुमानगढ़–

6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner